जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 17.06.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी के 02 मामलों का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, चोरी की साइकिल व सामान बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना* के** निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व आज दिनांक 17.06.2025 को मेंहदावल बाईपास बरई टोला जाने वाले मार्ग से 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

01- लक्ष्मण चौरसिया पुत्र रामकृपाल चौसरसिया निवासी बरई टोला, हाल पता मोहीद्दीनपुर सर्विसलेन किनारे थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

02- सुधीर चौरसिया पुत्र स्व0 रामचरन चौरसिया निवासी बरईटोला थाना कोतवाली खालीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01- एक अदद चोरी की साइकिल।

02- एक जोड़ा पायल सफेद धातु।

03- एक अदद अंगूठी पीली धातु।

04- एक अदद कड़ा सफेज धातु।

05- कुल नगद 20600 रुपये चोरी से प्राप्त।

घटनाएं जिनका सफल अनावरण हुआ -

01- दिनांक 02/03.06.2025 को श्री शक्ति श्रीवास्तव उर्फ बाबुल पुत्र श्याम चरण निवासी मोहीद्दीनपुर डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मकान में छत के रास्ते घुसकर चोरी हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 484/2025 धारा 305(A)/331(5) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित सामानों की बरामदगी अभियुक्तों के कब्जे से हुई है।

02- दिनांक 06/07.04.2025 को श्री संजय सिंह पुत्र स्व0 रामासिंह निवासी किडहिरीया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने सूचना दिया कि मकान के छत पर चढ़कर सीढ़ी के रास्ते घर में घुसकर जेवरात व पैसे चोरी हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद मु0अ0सं0 286/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। समानों की बरामदगी की गयी।

पूछताछ विवरणः- पकड़े गये अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि हम अपने निजी खर्चों व नशे के लिए चोरी करते हैं। साहब हम दोनों ने मिलकर दिनांक 02/03.06.2025 की रात में मोहीद्दीनपुर स्थित बगिया के सामने एक मकान में छत के रास्ते घुसकर चोरी किये थे जहां से लाकेट सहारा अंगुठी पीली धातु का तथा पायल व कडा सफेद धातु का मिला

था व कुछ नगद रुपये मिला था तथा दिनांक 06/07.04.2025 को नौरंगिया से कटाई रोड पर ग्राम किडहिरिया में एक मकान के छत पर चढकर सीडी के रास्ते घर में घुसकर आलमारी से चोरी किये थे जिसमें कुछ पैसा व जेवरात मिले थे जिसमें से लक्ष्मण द्वारा बताया गया कि मेरे पास से बरामद रुपया 9400 में से रुपया 4400 दिनांक 02/03.06.2025 की रात्रि की चोरी की घटना में से मेरे हिस्से का बचा हुआ तथा रुपया 5000 दिनांक 06/07.04.2025 की चोरी की घटना में मिले पैसे व जेवरात के बिक्री से बचा हुआ मेरे हिस्से का पैसा है तथा सुधीर चौरसिया से बरामद नगद रुपये के संबंध में पुछने पर बता रहा है कि मेरे पास बरामद 11200 रुपये में से दिनांक 02/03.06.2025 की रात्रि की चोरी की घटना में से मेरे हिस्से का बचा हुआ तथा रुपया 5000 दिनांक 06/07.04.2025 की चोरी की घटना में मिले पैसे व जेवरात के बिक्री से बचा हुआ रुपया 6200 मेरे हिस्से का पैसा है। साहब चोरी का और कोई सामान हम लोगों के पास नहीं बचा है जो बचा था आज हमलोग उसे बेचने जा रहे थे कि आपलोगों ने पकड लिया। साइकिल के संबंध में पूछा गया तो बताये कि साहब यह साईकिल हमलोग करीब एक महिना पहले बरदहिया बाजार से उठा लिए थे।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0का0 नरेश गुप्ता, का0 उमेश कुमार, का0 घनश्याम त्रिपाठी, का0 राजन यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 21 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3313 द्वारा पैदल जा रहे व्यक्ति को मोटरसाइकिल से ठोकर लग जाने के कारण घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– कालर द्वारा पैदल जा रहे व्यक्ति को बाईक द्वारा ठोकर लग जाने के कारण पैदल जा रहे व्यक्ति व बाईक सवार सहित दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (शिव कुमार राय पुत्र अष्टमुनि राय ग्राम डबरा थाना बखिरा, 02 विजय कुमार पुत्र लालमुनि ग्राम रजियापुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय़ता से अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 वाहनों से 1,52,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 153 वाहनों से 1,52,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 216/2025 धारा 64(2)m/115(2)/351(3)/352/61(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता संगम कुमार पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र नुवासी गोपालपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 16.06.2025 को थाना महुली पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म के मामले के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 17.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय, का0 अरविन्द यादव, का0 अभिषेक सिंह।